# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
## (भारत सरकार का उपक्रम)

पावरग्रिड

पारेषण लाइन, कार्यालय : अखिल हृदयकुंज, रानी पदमावती कालोनी, मानपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

क्र.सं. 675

दिनांक 31/7/14

पीजी/एनआर-1/टीएल/काशीपुर/क्षतिग्रस्त वृक्ष

श्री/श्रीमती रोशन लाल पुत्र श्री राम लाल

ग्राम गहलोइया पोस्ट गहलोइया तहसील बहेड़ी जिला बरेली

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (भारत सरकार का उपक्रम) उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत 400 के.वी. डबल सर्किट बरेली–काशीपुर पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है। विद्युत सुरक्षा नियमों एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लाईन के दोनो तरफ मध्य से 23 मीटर दूरी के निशानयुक्त वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है काट लिये जाये। इसके लिए विभाग इण्डियन इलैक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट–1948 की धारा 42 के साथ पठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग–3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने को प्रावधानित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर तथा अनुमति प्राप्त कर वृक्षों को काट लें अन्यथा उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात इस विभाग द्वारा काट दिये जायेंगे। ऐसी दशा में लकड़ी की क्षति या किसी अन्य प्रकार की क्षति के लिये विभाग कदापि उत्तरदायी नहीं होगा। वृक्षों का मुआवजा तहसीलदार/सम्बन्धित राजकीय विभाग द्वारा निर्धारित तथा सत्यापित होने के बाद पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा देय होगा।

### वृक्षों का विवरण

| क्र.सं. | लोकेशन नं० | वृक्ष का नाम/प्रजाति | संख्या | वृक्ष की मोटाई (मीटर) सीने की ऊंचाई पर | अन्य विवरण/खरा नं० आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/2 | यूकेलिप्टिस | 20 | 60 70 | 532 |
| | 13/3 | यूकेलिप्टिस | 35 | 65 75 | |

कृते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
काशीपुर

नोटिस प्राप्त किया :
(नाम सहित हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि :
तहसीलदार ........................ जिला ........................ इस आशय के साथ प्रेषित कि वृक्षों का उचित मुआवजा बनाकर एवं स्वामित्व प्रमाणित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे वृक्षों का मुआवजा दिया जा सके।
उप जि अधिकारी ........................

कृपया दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वृक्ष मालिकों को भारत सरकार के उद्यम के हित को ध्यान में रखते हुए वृक्षों को काटने की अनुमति दें। यदि उक्त वृक्ष मालिक निर्धारित अवधि में आप द्वारा विधिक कार्यवाही सम्पन्न कर अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट के अधीन तथा सुरक्षा अधिनियमों को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान करें ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रम कार्यवाही स्वंय के स्तर से पूर्ण की जा सके।

प्रधान
ग्राम पंचायत गहलुईया
वि० ख० शेरगढ़ (बरेली)

कृते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटे
काशीपु